

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक/१/औ0 प्रको0/2016/341
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/07/2016

समस्त,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
म0प्र0 ।

विषय:- आब्जेक्ट हेड एवं डिटेल्ड हेड सामग्री एवं पूर्तियों अन्य (34-009) मद के अंतर्गत
उपलब्ध आवंटन एवं उसके उपयोग बावत्।

00000

विषयांतर्गत इस पत्र से संलग्न विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आब्जेक्ट हेड एवं डिटेल्ड
हेड सामग्री एवं पूर्तियों अन्य (34-009) मद में आपको उपलब्ध राशि की जानकारी अद्यतन
स्थिति में दी जा रही है। नियमानुसार परीक्षण उपरांत अस्पताल संचालन हेतु सामग्री एवं
पूर्तियों अन्य के व्यय संबंधी कार्यवाही आपके स्तर पर की जानी है। आपकी सुविधा हेतु
विभिन्न योजनाओं में 34-009 मद में उपलब्ध राशि की जानकारी दी जा रही है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि चादर संबंधी व्यय भी इसी शीर्ष से किया जाना है।
यह व्यय नियमानुसार परीक्षण उपरांत भण्डार क्रय नियमों के अक्षरशः पालन एवं वित्तीय
अधिकारों के प्रकाश में जिला चिकित्सालय हेतु योजना क्रमांक 1473, 8150 एवं 8798 से एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हेतु योजना क्रमांक 2777, 8150, 7317, 5989 एवं 9812
में उपलब्ध बजट के अंतर्गत किया जाना है। अन्य योजनाएँ जैसे 6105, 4245 से चादर
संबंधी व्यय नहीं किया जाना है।

म0प्र0 भण्डार क्रय नियम 26.2 (छायाप्रति संलग्न) अनुसार आयुक्त/संचालक,
हाथकरघा एवं हस्तशिल्प एवं प्रबंध संचालक, म0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय,
भोपाल को 85 प्रतिशत अग्रिम राशि के साथ आदेश ई-ऑडिबि पोर्टल के माध्यम से भेजा
जायेगा। अतः सूचनार्थ एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु।

(डॉ. पंकज जैन)

अपर संचालक (उपार्जन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल, दिनांक 25/07/2016

पृ. क./१/औ0 प्रको0/2016/341
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, अस्पताल प्रशासन, स्थानीय कार्यालय भोपाल म0प्र0।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
5. प्रभारी, एम.आई.एस. वेबसाइट पर अपलोड करें।

अपर संचालक (उपार्जन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश